Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा, जयपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कनिष्ठ सहायक 30 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 फरवरी, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर स्पेशल युनिट–प्रथम इकाई द्वारा आज जयपुर में कार्यवाही करते हुये रामकिशोर मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं मोहन सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर को परिवादी से 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर स्पेशल युनिट–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे राजस्थान आवासन मण्डल के दो मकानों की रजिस्ट्री हेतू फोर्मेट तैयार कर रजिस्ट्रार कोटपूतली को भिजवाने की एवज में राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर के कनिष्ठ सहायक मोहनसिंह व सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामकिशोर मीणा द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर स्पेशल युनिट–प्रथम इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह नैन** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्रीमती अर्चना मीणा पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी देव खेडा जिला अजमेर, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर को स्वयं व सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामकिशोर मीणा पुत्र रामकुमार मीणा निवासी मीणावाला भोटडा कॉलोनी सिरसी रोड जयपुर के लिए 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों दोनो को गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।